न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा

पीठासीन अधिकारी–राकेश धर दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02008

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 1060/2026

(CNR No. UPET010037872026)

गायत्री देवी उम्र करीब 42 वर्ष पत्नी जितेन्द्र सिंह, निवासी जीवन नगर निकट मण्डी समिति, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा। ----आवेदिका/अभियुक्ता

प्रति

उ0प्र0 राज्य -----अभियोजक

मु०अ०सं०–555/2024
धारा–3(5),115(2),352,109,117(2) बी०एन०एस०
थाना–कोतवाली नगर, जिला एटा।

16.06.2026

आवेदिका/अभियुक्ता **गायत्री देवी** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–555/2024 अन्तर्गत धारा–3(5),115(2),352,109,117(2) **बी०एन०एस०,** थाना **कोतवाली नगर**, जिला एटा के मामले में जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी जितेन्द्र सिंह पुत्र आशाराम का विवाद कुछ दिन पूर्व पड़ोस के ही गायत्री देवी व इनके पुत्र अनिल के साथ हुआ था, जिसके सम्बन्ध में वादी ने थाना कोतवाली नगर में इनके विरुद्ध मु0अ0सं0–472/2024 धारा 115(2),352,351(2) बी०एन०एस० में दर्ज करायी थी। इसी बात पर खिसया कर दिनांक 07.12.2024 को उक्त जितेन्द्र सिंह पुत्र नवाब सिंह, जो आई.टी.बी.पी. में सेवारत हैं, छुट्टी पर है और समय करीब शाम 05:30 बजे जितेन्द्र सिंह, अनिल, अर्पित व गायत्री देवी एकराय होकर अपने हाथों में लोहे की सरिया व नुकीली रोड से लेस होकर जान से मारने की नीयत से उसके घर पर आये और उसके पिता को माँ बहिन की गाली देते हुए नुकीली रोड से नाक व सिर पर प्रहार किया, जिससे पिता की नाक कट गयी व सिर में गम्भीर चोटें आयी हैं। उनकी चीख पुकार सुनकर वादी की माँ राम रोशनी देवी, बहिन संगीता व बेहनोई कैलाश चन्द्र पड़ोस के दूसरे मकान से भाग कर आये देखा व बचाया, बचाते समय उक्त लोगों ने इन लोगों के ऊपर भी हमला किया, जिससे उसकी माँ बहिन व बेहनोई के भी चोटें आयीं हैं। मारपीट करते समय पिता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, उस समय यदि उसकी माँ बहिन व बेहनोई ना आते तो उपरोक्त लोग उसके पिता जी को जान से मार देते। उपरोक्त सभी लोग हमला करके बुलेरो सफेद कलर नं–यू.पी. 82 ए.एफ. 0417 व एक अन्य काली गाड़ी से भाग गये। उक्त घटना वादी के घर के बाहर लगे सी.सी.टी.वी. केमरे में है, जो देखा जा सकता है।

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.06.16 12:59:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदिका निर्दोष है। प्रकरण में दौरान विवेचना धारा–117(2) बी०एन०एस० की बढोत्तरी की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन देरी से दर्ज करायी गयी है। दौरान विवेचना माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या–3694/2025 दिनांक 21.05.2025 के अनुसार नो कोइर्सिव एक्शन का आदेश होने के कारण विवेचक द्वारा धारा–35(3) बी०एन०एस०एस० का नोटिस दिये जाने के आधार पर ही आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिसका आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा दुरूपयोग नही किया गया और विवेचना में पूर्ण सहयोग किया है। चुटैल आशाराम की नाक पर चोट डाक्टर द्वारा दिखायी गयी है, जो प्राण घातक नही हैं तथा आशाराम व रामरोशनी की सभी चोट साधारण प्रकृति की है, जो जीवन के लिये घातक नही है, इसलिये धारा–109 बी०एन०एस० का अपराध नही बनता है। कथित घटना कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। पूर्व में चुटैल आशाराम द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता गायत्री देवी के साथ दिनांक 18.09.2024 को मारपीट की थी, जिसकी एफ०आई०आर० गायत्री देवी द्वारा अपराध सं0–439/2024 पर थाना कोतवाली नगर एटा में धारा–351(3),352,115(2) बी०एन०एस० पंजीकृत करायी थी, उसी मुकदमे से बचने के लिये तथा फैसला के लिये दबाव बना रहे थे। इसलिये चुटैल रोशनी द्वारा अपराध सं0–472/2024 पर 20 दिन बाद दिनांक 10.10.2024 को एक झूठी रिपोर्ट गायत्री देवी व अनिल के विरूद्ध दर्ज करायी थी। प्रति कथन भी है पूर्व रंजिश के कारण दिनांक 07.12.2024 को शाम 05:00 बजे आवेदिका गायत्री देवी के पति जितेन्द्र सिंह बाजार जा रहे थे तथा आशाराम आदि ने मारपीट की, जिसमें उसके पति के हाथ की हड्डी टूट गयी, जिसकी रिपोर्ट अपराध सं0–572/2024 पर धारा–191(2),115(2),351(2) बी०एन०एस० की थाना कोतवाली नगर एटा पर दर्ज करायी थी। आवेदिका/अभियुक्ता के पति जितेन्द्र सिंह की बाँह में प्लेट (रौड) पड़ी है, जो एस०एन० मेडिकल कालेज आगरा में ऑपरेशन करके डाली गयी है। इस स्तर पर यह कहना सम्भव नही है कि कौन सा पक्ष आक्रामक है। इस केस के अलावा उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदिका/अभियुक्ता दिनांक 30.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त आधारों पर आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर लोहे की सरिया एवं नुकीली रोड से लैस होकर वादी के पिता आशाराम सहित अन्य उसके परिजनों पर हमला कर उन्हें चोटें पहुँचायीं। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के अधिवक्ता के तर्क सुने व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन के अनुसार आवेदिका/अभियुक्ता पर सहअभियुक्तगण के साथ एकराय होकर वादी पक्ष पर हमला करने, लोहे की सरिया एवं नुकीली रोड से मारपीट करने तथा घायल व्यक्तियों को चोटें कारित करने का अभियोग है, जबकि बचाव पक्ष के विद्वान

अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिका महिला है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका कोई विशिष्ट अथवा पृथक कृत्य वर्णित नहीं किया गया है, बल्कि सामान्य रूप से सहअभियुक्तगण के साथ एकराय होकर घटना में सम्मिलित होने का आरोप लगाया गया है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त मामले का क्रॉस केस मु०अ०सं० 572/2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति एवं मु०अ०सं० 439/2024 के आरोप–पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है, जिससे प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि घटना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों द्वारा एक–दूसरे के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं तथा पक्षकारों के मध्य पूर्व से विवाद एवं रंजिश चली आ रही थी। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर यह कहना सम्भव नहीं है कि घटना का वास्तविक आक्रामक पक्ष कौन था, जिसका निर्धारण विचारण के दौरान साक्ष्यों के मूल्यांकन के उपरान्त ही किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता का इस मामले के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकरण का आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया है। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है एवं विचारण होना शेष है। आवेदिका/अभियुक्ता दिनांक 30.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई अन्तिम राय प्रकट न करते हुए, इस न्यायालय की राय में आवेदिका/अभियुक्ता उपरोक्त का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता **गायत्री देवी** का जमानत आवेदन निम्न शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है:–

(i)– यह कि आवेदिका/अभियुक्ता अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(ii)– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 351 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(iii)– यह कि आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास हजार रूपये की दो जमानते व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाये।

(राकेश धर दुबे)

दिनॉकः 16.06.2026 सत्र न्यायाधीश, एटा।